


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1020]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939

No. 1020]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSHA 1, 1939

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1539(अ).— प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को बनाने का प्रस्ताव करती है जिन्हें उक्त धारा की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम, इन प्रारूप नियमों के सरकारी राजपत्र की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने के 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी इच्छुक व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्ति या सुझाव, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

(ख) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(ग) (2) ये शासकीय राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में,
नियम 6 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"6 प्रवेश शुल्क- पंद्रह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति संरक्षित स्मारक या उसके किसी हिस्से में :-

(क) द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में श्रेणी 'क' के रूप में निर्दिष्ट किसी भी संस्मारक में निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर प्रवेश नहीं कर सकते:-

(i) भारत के नागरिक, तथा सार्क देशों के पर्यटक (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका),
ब्रिस्ट्रैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैण्ड) और भारत के प्रवासी नागरिक- 40/-रु०
प्रति व्यक्ति,

बशर्ते कि (i) आगरा स्थित ताज स्मारक समूह; (ii) आगरा स्थित आगरा किला; (iii) फतेहपुर सीकरी स्थित फतेहपुर सीकरी
स्मारक; (iv) दिल्ली स्थित हुमायुं का मकबरा (v) दिल्ली के कुतुब मीनार के लिए प्रभारित शुल्क निम्नानुसार होगा :-

(क) नकद रहित भुगतान के लिए :- 35 रु. प्रति

(ख) नकद भुगतान के लिए :- 40/- रु. प्रति व्यक्ति

(घ) इसके अतिरिक्त यह भी कि दिल्ली में स्थित लाल किले के लिए, नकद रहित भुगतान के लिए 35/- रु. प्रति व्यक्ति
और नकद भुगतान के लिए 50/-रु. प्रति व्यक्ति शुल्क होगा।

(ii) अन्य [उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा सभी देशों के नागरिकों के लिए] 600/-रु. प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि (i) आगरा स्थित ताज स्मारक समूह; (ii) आगरा स्थित आगरा किला; (iii) फतेहपुर सीकरी स्थित फतेहपुर सीकरी
स्मारक; (iv) दिल्ली स्थित हुमायुं का मकबरा (v) दिल्ली के कुतुब मीनार के लिए प्रभारित शुल्क निम्नानुसार होगा :-

(क) नकद रहित भुगतान के लिए :- 550 रु. प्रति

(ख) नकद भुगतान के लिए :- 600/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) अन्य [उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित देशों के नागरिक जो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय समय पर
आदेशों द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक हों] :-

..... 850/- रु. प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि (i) आगरा स्थित ताज स्मारक समूह; (ii) आगरा स्थित आगरा किला; (iii) फतेहपुर सीकरी स्थित फतेहपुर सीकरी
स्मारक; (iv) दिल्ली स्थित हुमायुं का मकबरा (v) दिल्ली के कुतुब मीनार और (vi) दिल्ली स्थित लाल किले के लिए प्रभारित
शुल्क निम्नानुसार होगा :-

(क) नकद रहित भुगतान के लिए :- 800/ रु. प्रति

(ख) नकद भुगतान के लिए :- 850/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर द्वितीय अनुसूची के भाग II में श्रेणी 'ख' के रूप में निर्दिष्ट स्मारकों में प्रवेश नहीं कर सकते :-

"(i) भारत के नागरिक तथा मार्क देशों (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका) के पर्यटक, विमस्टैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैण्ड) और भारत के प्रवासी नागरिक- 25/-रु० प्रति व्यक्ति,

"वशर्ते कि (i) सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा, (ii) इत्माद-उद-दौला का मकबरा, रामबाग (iii) आगरा स्थित मेहताब बाग में स्मारक समूह (iv) दिल्ली स्थिति जंतर-मंतर (v) दिल्ली स्थित खान-ए-खाना, (vi) दिल्ली स्थित पुराना किला, (vii) दिल्ली स्थित तुगलकाबाद किला (viii) दिल्ली स्थित कोटला फिरोजशाह और (ix) दिल्ली स्थित सफदरजंग के मकबरे के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा:-

(क) नकदरहित भुगतान 20/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) नकद भुगतान के लिए 25/- रु. प्रति व्यक्ति

(ii) अन्य [उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिकों के लिए] 300 रु. प्रति व्यक्ति

वशर्ते कि (i) सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा, (ii) इत्माद-उद-दौला का मकबरा, रामबाग (iii) आगरा स्थित मेहताब बाग में स्मारक समूह (iv) दिल्ली स्थिति जंतर-मंतर (v) दिल्ली स्थित खान-ए-खाना, (vi) दिल्ली स्थित पुराना किला, (vii) दिल्ली स्थित तुगलकाबाद किला (viii) दिल्ली स्थित कोटला फिरोजशाह और (ix) दिल्ली स्थित सफदरजंग के मकबरे के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा:-

(क) नकदरहित भुगतान के लिए 250/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) नकद भुगतान के लिए 300/- रु. प्रति व्यक्ति

(iii) अन्य [उपर्युक्त (ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार जो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय समय पर आदेशों द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाएँ प्राप्त करने के इच्छुक हों]:-

..... 400/- रु. प्रति व्यक्ति

वशर्ते कि (i) सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा, (ii) इत्माद-उद-दौला का मकबरा, रामबाग (iii) आगरा स्थित मेहताब बाग में स्मारक समूह (iv) दिल्ली स्थिति जंतर-मंतर (v) दिल्ली स्थित खान-ए-खाना, (vi) दिल्ली स्थित पुराना किला, (vii) दिल्ली स्थित तुगलकाबाद किला (viii) दिल्ली स्थित कोटला फिरोजशाह और (ix) दिल्ली स्थित सफदरजंग के मकबरे के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा:-

(क) नकदरहित भुगतान 350/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) नकद भुगतान के लिए 400/- रु. प्रति व्यक्ति

[फा. सं. 9/3/2012-एम]

उषा शर्मा, महानिदेशक

फुट नोट: प्रधान नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे:

(i) का.आ. संख्या 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966

(ii) मा.का.नि. संख्या 663 दिनांक 1 मई, 1967

- (iii) का.आ. संख्या 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971
- (iv) सा.का.नि. संख्या 90 दिनांक 30 जनवरी, 1991
- (v) सा.का.नि. संख्या 306 दिनांक 10 जुलाई, 1996
- (vi) सा.का.नि. संख्या 799 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
- (vii) सा.का.नि. संख्या 800 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
- (viii) सा.का.नि. संख्या 848 (अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000
- (ix) का.आ. संख्या 10 (अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001
- (x) सा.का.नि. संख्या 688 (अ) दिनांक 24 सितम्बर, 2001
- (xi) सा.का.नि. संख्या 372 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003
- (xii) सा.का.नि. संख्या 37 (अ) दिनांक 15 जनवरी, 2008
- (xiii) सा.का.नि. संख्या 631 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012 तथा
- (xiv) सा.का.नि. संख्या 391 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2016

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R. 1539(E).—The following draft of certain rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall come into force after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette of these draft rules, are made available to the public:

Objections or suggestions, if any, which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the Central Government;

Objections or suggestions may be sent to the Director General, Archaeological Survey of India, 24 Tilak Marg, New Delhi – 110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—
“6. Entrance fee – No person above the age of fifteen years shall enter into a protected monument or part thereof –
(a) specified as Category ‘A’ monuments in Part I of the Second Schedule except on payment of fees as under:—
(i) Citizens of India and visitors from SAARC countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), visitors from BIMSTEC Countries (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand), and Overseas Citizens of India, - Rs. 40/- per head:
Provided that for the monuments namely, (i) Taj group of monuments at Agra; (ii) Agra Fort at Agra; (iii) Fatehpur Sikri monuments at Fatehpursikri; (iv) Humayun's Tomb in Delhi; and (v) Qutub Minar in Delhi, fees shall be charged as under:—

- (a) For cashless payment Rs.35/- per head.
 (b) For cash payment Rs.40/- per head:

Provided further that for Red Fort in Delhi, the fees shall be Rs.35/- per head for cashless payment and Rs.50/- per head for cash payment.

- (ii) Others (all Nationals other than from countries mentioned in (i) above), -
Rs. 600/- per head.

Provided that for the monuments namely, (i) Taj group of monuments at Agra; (ii) Agra Fort at Agra; (iii) Fatehpur Sikri monuments at Fatehpursikri; (iv) Humayun's Tomb (v) Qutub Minar and (vi) Red Fort in Delhi, fees shall be charged as under:-

- (a) For cashless payment Rs.550/- per head.
 (b) For cash payment Rs.600/- per head.

- (iii) Others (Nationals as mentioned in (ii) above, who are desirous of availing additional facilities as specified by the Director General, Archaeological Survey of India, by orders from time to time),-
 Rs. 850 per head:

Provided that for the monuments namely, (i) Taj group of monuments at Agra; (ii) Agra Fort at Agra; (iii) Fatehpur Sikri monuments at Fatehpursikri; (iv) Humayun's Tomb (v) Qutub Minar and (vi) Red Fort in Delhi, fees shall be charged as under:-

- (a) For cashless payment Rs.800/- per head.
 (b) For cash payment Rs.850/- per head.

(b) specified as Category 'B' monuments in Part II of the Second Schedule, except on payment of fees as under:-

- (i) Citizens of India and visitors from SAARC countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), visitors from BIMSTEC Countries (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand), and Overseas Citizens of India, Rs. 25/- per head:

"Provided that for the monuments namely, (i) Akbar's Tomb at Sikandra, (ii) Itimad-ul-Daula's Tomb at Rambagh, (iii) Group of monuments at Mehtab Bagh in Agra (iv) Jantar Mantar in Delhi, (v) Khan-i-Khana in Delhi, (vi) Purana Qila in Delhi, (vii) Tughluqabad Fort in Delhi, (viii) Kotla Ferozshah in Delhi and (ix) Safdarjung Tomb in Delhi, fees shall be charged as under:-

- (a) For cashless payment Rs.20/- per head.
 (b) For cash payment Rs.25/- per head.

- (ii) Others (all Nationals other than from countries mentioned in (i) above),- ... Rs.300/- per head:

Provided that for monuments namely, (i) Akbar's Tomb at Sikandra, (ii) Itimad-ul-Daula's Tomb at Rambagh, (iii) Group of monuments at Mehtab Bagh in Agra (iv) Jantar Mantar in Delhi, (v) Khan-i-Khana in Delhi, (vi) Purana Qila in Delhi, (vii) Tughluqabad Fort in Delhi, (viii) Kotla Ferozshah in Delhi and (ix) Safdarjung Tomb in Delhi, fees shall be charged as under:-

- (a) For cashless payment Rs.250/- per head.
 (b) For cash payment Rs.300/- per head.

- (iii) Others (as mentioned in (ii) above, who are desirous of availing additional facilities as specified by the Director General, Archaeological Survey of India, by orders from time to time),-
Rs.400/- per head:

Provided that for the monuments namely, (i) Akbar's Tomb at Sikandra, (ii) Itimad-ul-Daula's Tomb at Rambagh, (iii) Group of monuments at Mehtab Bagh in Agra (iv) Jantar Mantar in Delhi, (v) Khan-i-Khana in Delhi, (vi) Purana Qila in Delhi,

(vii) Tughluqabad Fort in Delhi, (viii) Kotla Ferozshah in Delhi and (ix) Safdarjung Tomb in Delhi, fees shall be charged as under:-

- (a) For cashless payment Rs.350/- per head.
(b) For cash payment Rs.400/- per head. “

[F.No.9/3/2012-M]
USHA SHARMA, Director General

Foot Note.— The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) *vide* and subsequently amended *vide*, (i) G.S.R:

- (i) S.O. 3520, dated the 20th November, 1966,
(i) GS.R. 663, dated the 1st May, 1967,
(ii) S.O. 935, dated the 16th February, 1971,
(iii) GS.R. 90, dated the 30th January, 1991,
(iv) GS.R. 306, dated the 10th July, 1996,
(v) GS.R. 799(E), dated the 17th October, 2000,
(vi) GS.R. 800(E), dated the 17th October, 2000,
(vii) G.S.R. 848(E), dated the 3rd November, 2000,
(viii) S.O. 10(E), dated the 5th January, 2001,
(ix) GS.R. 688(E), dated the 24th September, 2001,
(x) GS.R. 372(E), dated the 30th April, 2003,
(xi) GS.R. 37(E), dated the 15th January, 2008, and
(xii) GS.R. 631(E), dated the 13th August, 2012
(xiii) GS.R. 391 (E) dated the 31st March, 2016.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2017.12.29 19:20:58
+05'30'